

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/ 2306-2555

दिनांक 28/12/2020

परिपत्र

वित्तीय प्रबन्धन को कुशल बनाने हेतु यह अतिआवश्यक है कि राजकीय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालय स्वीकृत प्रावधानों एवं प्राधिकृत वित्तीय शक्तियों की पालना करते हुए ही कार्य संचालन से सम्बद्ध देयताएँ सृजित करें।

उक्त संदर्भित देयताओं को एकीकृत वित्तीय प्रणाली पर भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/खण्डीय अधिकारियों को बिना कार्यालयवार बजट आवंटन के भी कार्यालय से सम्बद्ध देयताओं के बिल सिस्टम पर बनाया जाना अनिवार्य है परन्तु यह बिल कोष कार्यालयों को बजट की कार्यालयवार आवंटन उपलब्धता के क्रम में ही फॉरवर्ड किए जा सकेंगे।

समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों को यह देयताएँ उनके पे-मैनेजर पर उपलब्ध लॉगिन में प्रदर्शित होगी, जिनकी विधिवत् जाँच करना व बजट आवंटन समय-समय पर करना उनका प्रमुख दायित्व होगा।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।




(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

2306-2555
28/12/2020

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगणों को उक्त निर्देशों एवं संबंधित नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
15. श्री मनोज नागर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
16. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
17. श्री ललित गोयल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
18. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
19. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को उक्त निर्देशों की पालना हेतु तथा वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
20. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त को उक्त निर्देशों की पालना करने हेतु।


संयुक्त शासन सचिव